an>

Title: Regarding cases of suicide by the students in higher educational institutes in the country.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की बड़ी संस्थाओं में समाज के कमजोर, वंचित, दलित एवं अल्पसंख्यक छात्रों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। कोटा में 73 बच्चों ने आत्महत्या की है, जिनमें से सात बच्चे बिहार से हैं। आपको आश्चर्य होगा कि वहां रेजनेस नाम की एक संस्था कोचिंग चलाती है, जिसके यहां 70,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इस देश में निजी कोचिंग के नाम पर 272 अरब रुपये के मुनाफे की कमाई हो रही है। कई बार पटना हाई कोर्ट ने निजी कोचिंग्स के लिए कानून बनाने की बात कही है, ताकि समाज के गरीब और अंतिम बच्चे किस तरीके से कोचिंग लें, यह तय किया जा सके। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि निजी कोचिंग नहीं होनी चाहिए, सरकार की तरफ से समाज के हर वर्ग के बच्चों को कोचिंग दी जानी चाहिए।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इंफोसिस के नारायणमूर्ति जी एवं सुंदर पिचाई जी ने कोचिंग संस्थाओं, खासकर कोटा के बारे में बहुत गहरी टिप्पणी की है। मेरा आग्रह है कि कोटा में जो अवैध धन्धा चलाने और पैसे वसूलने की तैयारी है, उसके लिए एक कानून बने। मेरा गृहमंत्री जी से आग्रह है कि उसकी पूरी जांच हो, जिससे लगातार देश की अन्य संस्थाओं में समाज के जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर रोक लगे। उस पर रोक लगे। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाये, यह बहुत ही आवश्यक है। मेरा आग्रह है कि लगातार मनोचिकित्सक स्थिति बच्चों की संख्या बढ़ रही है, इसको सुधारने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिए और निजी कोचिंग संस्थानों को बंद किया जाना चाहिए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Nishikant Dubey are permitted to associate with the issue raised by Shri Rajesh Ranjan.